



संख्या : 3808/जी0एस0(शिक्षा)/A3-6(1)/2025

प्रेषक,

रीना जोशी,
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 09 सितम्बर, 2025

महोदय,

कृपया कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफिलिएशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव, पंजीकरण क्रमांक 240928122209, दिनांक 30.08.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें देवस्थली विद्यापीठ डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन कच्ची खमरिया, लालपुर, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर को बी0कॉम0-आनर्स पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2025-26 हेतु नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव संस्तुति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि के नवीन अस्थाई सम्बद्धता प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीटों की संख्या	नवीन अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
01	देवस्थली विद्यापीठ डिपार्टमेंट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन कच्ची खमरिया, लालपुर, रुद्रपुर, ऊधम सिंह नगर।	बी0कॉम0-आनर्स	60 सीट	2025-26

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, U.G.C. विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- विश्वविद्यालय, संस्थान में पुस्तकें अग्रेत्तर तीन माह की अवधि के भीतर पूर्ण कराते हुए तत्सम्बन्धी अभिलेख इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- विश्वविद्यालय, संस्थान से यू0जी0सी0 विनियम, 2009 के उपनियम 3.4.7 का अनुपालन करवाना सुनिश्चित करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव U.G.C. विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा,

जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

Digitally signed by ^{भारतीया,}

REENA JOSHI

Date: 09-09-2025 (रीना जोशी)

17:05:27

कुलाधिपति के अपर सचिव

संख्या : **3808** (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A3-6(1)/2025 तददिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्रबन्धक/प्राचार्य-सम्बन्धित संस्थान।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

Digitally signed by

Shri Laxman Ram Arya

Date: 09-09-2025

17:08:50

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम आर्य)

कुलाधिपति के उपसचिव।